वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 30.07.2024 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर", दैनिक जागरण,अमर उजाला, हिन्दुस्तान, आज, न्यायाधीश, तरुणमित्र,ज्ञानशिखा टाइम्स" समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 30.07.2024

पुलिस प्रशासन से सामंजस्य बैठाकर अगली कार्रवाई की तय होगी तारीख

माई सिटी रिपोर्टर

वाराणसी। वीडीए से ध्वस्तीकरण आदेश पारित होने के बाद भी बनारस कोठी और रिवर पैलेस को अब तक पूरी तरह से नहीं तोड़ा गया है। इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहें हैं। हालांकि वीडीए के अधिकारी ध्वस्तीकरण अभियान की कार्ययोजना बना रहे हैं। पुलिस प्रशासन से सामंजस्य बनाने के बाद ध्वस्तीकरण की तारीख तय की जाएगी। इसके बाद ध्वस्तीकरण अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी।

होटलों पर हुई कार्रवाई के बाद शहर के अन्य अवैध होटलों में खलबली मची है। खासकर वरुणा नदी के ग्रीन बेल्ट दायरे में बने 50 से अधिक होटल संचालकों में दहशत का माहौल है। बीते 27 जुलाई को वीडीए ने बुद्ध विहार कॉलोनी के अवैध दो होटलों पर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया था। इन होटलों पर हथौड़ा और बुलडोजर के जरिये कुछ अवैध निर्माण को तोड़ा था। अब भी पूरा होटल ध्वस्त नहीं हुआ है। होटल के अंदर वीडीए ने अवैध निर्माणों को डैमेज कर सील लगाकर पुलिस अभिरक्षा में दे दिया है।

वीडीए के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार मोहम्मद जाफर अली खां ने बुद्ध विहार कालोनी में दो होटल का निर्माण कराया है। दोनों होटल की जमीन के मामले में शासन ने अन्नपूर्णा भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड के आठ भूखंड का भू उपयोग आवासीय से व्यवसायिक करने का प्रत्यावेदन निरस्त किया था।

> *"बुद्ध विहार कॉलोनी के दो होटलों को ध्वस्त कराने के लिए पुलिस प्रशासन से सामंजस्य बैठाकर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। ऐसे सभी निर्माणकर्ता जिनके खिलाफ पहले ध्वस्तीकरण का आदेश पारित है। उन्हें सूचित किया गया है कि ऐसे भवनों का इस्तेमाल न करें। -*
> ***पुलकित गर्ग, उपाध्यक्ष, वीडीए***

अवैध बीएस मैरिज लॉन पर चला वीडीए का बुलडोजर

वाराणसी। वीडीए ने होटल के बाद अब मैरिज लॉन के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया है। सोमवार को वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर सिकरौल में वरुणा किनारे अवैध रूप से बने बीएस लॉन को बुलडोजर से ध्वस्त कराया गया। वीडीए के अनुसार महायोजना 2031 में वरुणा नदी के ग्रीन बेल्ट 50 मीटर के अंदर अवैध तरीके से लॉन बनाया गया था। राजाराम यादव, हीरा यादव, मुन्नालाल यादव की ओर से 26 बिस्वा में बने लॉन का व्यवसायिक इस्तेमाल किया जा रहा था। इस जमीन का भू प्रयोग ग्रीन बेल्ट है। इस स्थान पर कोई भी निर्माण प्रतिबंधित है। ब्यूरो

अमर उजाला –दि0 30.07.2024

चौड़ीकरण के लिए स्वेच्छा से दी जमीन

वाराणसी। रथयात्रा गुरुबाग मार्ग पर के भवन स्वामी गिरीश चंद्र मिश्र ने सड़क विस्तार में बाधक बन रहे निर्माण स्थल की जमीन वीडीए को स्वेच्छा से दी। इस पर सोमवार को वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाकर प्रशस्ति पत्र दिया। उनके इस सहयोग के लिए भवन स्वामी की प्रशंसा की। इस मार्ग पर रोपवे का स्टेशन है। यहां पर रोपवे का निर्माण कार्य चल रहा है। आने वाले दिनों में यहां यातायात का दबाव और अधिक बढ़ेगा। ब्यूरो

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

आज–दि0 30.07.2024

दो भवन सील मकान मालिक को मिली चेतावनी

विप्रा उपाधयक्ष के निर्देश पर सोमवार को अभियन्ताओं ने दो भवनों के विरूद्ध सीलिंग काररवाई के बाद क्षेत्रीय थाने की अभिरक्षा में थाना प्रभारी को सौंप दिया। वार्ड नगवा मौजा डाफी एक भवन स्वामीनि ने बिना मानचित्र मजूरी कराये निर्माण कार्य कर रही। मौके पर अभियन्ताओं की टीम ने पहुंच कर भवन को सील करने बाद उसे निकटतम थाने के थाना प्रभारी को अभिरक्षा में सौंप दिया। इसी तरह नगवा में सदामहुसैन नामक भवन मालिक बृज इनकेलव ने विप्रा से मजूर हुए मानचित्र के विपरित निर्माण करा रहा था। मौके पहुंचे अभियन्ताओं ने मानचित्र को देखने के बाद भवन को सील कर दिया। काररवाई में जोनल अधिकारी और अवर अभियन्ता के अलावा निकटतम थाने की पुलिस उपस्थित रही।

आज–दि0 30 .07.2024

ग्रीन बेल्ट में निर्मित वैवाहिक लान ध्वस्त

मैरेज लान पर चली जेसीबी

विकास प्रधिकरण उपाधयक्ष के निर्देश पर अभियन्ता और अधिकारियों ने सोमवार को बरुणा के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में निर्मित की एस वैवाहिक लान के अधिकाश निर्माण को धवस्त करा दिया। सिकरौल क्षेत्र में यह नदी के क्षेत्र में बने मैरेज लान काफी दिनों से साध लिया है लेकिन विप्रा जब जागो तभी सबेरा तर्ज पर सोमवार को अभियन्ताओं और अधिकारियों की टीम लान पहुंची। सरकारी अभिलेख में दर्ज ग्रीन बेस्ट में हुए निर्माण कार्य पर धवस्तीकरण काररवाई शुरू कर दी। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने का मन बनाया लेकिन अभी दो दिन पूर्व दो होटलों की कारवाई कि घटना को देखते हुए शान्ति बनाये रहे। विप्रा अधिकारी ने बताया कि २६ बिसवा जमीन पर बने मैरेज लान २०३१ के प्लान में यह ग्रीन बेल्ट में शामिल है। यह लान राजाराम और हीरा यादव के नाम पर है। सयुंक्त सचिव परमानन्द यादव सिंह, गौरव जयप्रकाश सजीव प्रकाश अवर अभियन्ता अतुल मिश्र, अमबरीश शर्मा जे पी गुप्त विनोद कुमार पुलिस फोर्स विप्रा रक्षक प्रवर्तन दल ने जसीबी से अवैध निर्माण को धवस्त करा दिया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण –दि0 30.07.2024

जोनल अफसर बेसमेंट कराएं खाली

जागरण प्रभाव

- दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित होने के बाद पहुंची वीडीए की टीम
- 10 दिन के अंदर संचालित कराएं पार्किंग, छह अगस्त को सुनवाई
- वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश पर प्रवर्तन टीम उतरी कार्रवाई करने

जागरण संवाददाता, वाराणसी : कांप्लेक्स, अपार्टमेंट समेत अन्य व्यवसायिक भवनों के बेसमेंट में कारोबार करने वालों पर वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित होने के बाद वीडीए टीम ने चार बेसमेंट संचालकों को नोटिस थमाने के साथ 10 दिन के अंदर व्यवसायिक कारोबार बंद करने का निर्देश दिया है।

कारोबार बंद नहीं करने पर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। वहीं, सोमवार को वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा ने सभी जोनल अधिकारियों संग बैठक करने के साथ पत्र जारी कर कार्रवाई करने को कहा है।

नियमानुसार किसी भी भवन के बेसमेंट में वाहन पार्किंग के अलावा कोई और गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। संचालन मिलने पर जोनल अधिकारी और अवर अभियंता की जवाबदेही होगी। दैनिक जागरण ने 29 जुलाई के अंक में नियम दरकिनार, बेसमेंट में चल रहा मौत का कारोबार खबर लिखकर सवाल उठाया था।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी के नेतृत्व में टीम भेलूपुर स्थित चेतमणि चौराहे पर शाकुंबरी कांप्लेक्स में पहुंची। यहां 15 दुकान में से 12 संचालित पाई गईं।

नवल गड़िया और अनुज डिडवानिया को 10 दिन के अंदर दुकान संचालन बंद कर पार्किंग संचालन कराने को कहा गया है। नोटिस जारी करते हुए छह अगस्त को सुनवाई की तिथि तय की गई है। लंका से रविंद्रपुरी मार्ग पर गोपाल साव व लखन साव ने बेसमेंट में हार्डवेयर व बर्तन की अलग-अलग दुकानें खोली है। गुरुधाम चौराहे पर बेसमेंट में अंबरीश सिंह के बेसमेंट में चार दुकानें संचालित है। इसमें कपड़े और मेडिकल स्टोर संचालित हो रहे हैं।

10 दिन में पार्किंग संचालन शुरू करने के साथ नोटिस जारी की गई। सुनवाई की तिथि छह अगस्त तय की गई है। जोनल अधिकारी सौरभ देव प्रजापति को जांच के दौरान बुलानाला के पास शिवम कटरा में हैंडलूम की दुकान और गोदाम मिला। भवन स्वामी कमल तुलस्यान व रवि तुलस्यान का है। बेसमेंट में शराब की दुकान व गोदाम संचालित मिला। इस पर वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया गया है। इससे संचालकों में हड़कंप मच गया है।

दैनिक जागरण –दि0 30.07.2024

बीएस गार्डेन मैरिज लान का तोड़ा चबूतरा

जागरण संवाददाता, वाराणसी : वरुणा नदी किनारे डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ वाराणसी विकास प्राधिकरण ने सोमवार को कार्रवाई की। शहर में अवैध निर्माण को सील करने के साथ पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया। साथ ही उन्हें दोबारा अवैध निर्माण नहीं करने की चेतावनी दी। जोनल अधिकारी ने क्षेत्रीय कर्मचारियों को नजर रखने का निर्देश दिया है। निर्माण मिलने पर दोषी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। वीडीए की कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में खलबली मच गई है।

वीडीए के संयुक्त सचिव परमानंद यादव ने बताया कि वरुणा नदी किनारे से 50 मीटर क्षेत्र ग्रीन बेल्ट है, यहां निर्माण पर पूरी तरह से रोक है। सिकरौल वार्ड के लोक निर्माण विभाग कार्यालय के पास वरुणा नदी के डूब क्षेत्र में 26 बिस्वा में मैरिज लान बीएस गार्डेन संचालित हो रहा था।

दैनिक जागरण –दि0 30.07.2024

साढ़े नौ करोड़ रुपये से मुंशी प्रेमचंद स्थली होगी संरक्षित

जागरण संवाददाता, वाराणसी : लमही स्थित मुंशी प्रेमचंद की स्थली को संरक्षित और संग्रहालय बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने नौ करोड़ 47 लाख 12 हजार रुपये स्वीकृत किया है। इस काम को करने का जिम्मा उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) को सौंपा है। काम शुरू होने से पहले वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने पर्यटन विभाग और यूपीपीसीएल संग बैठक कर योजना पर चर्चा की। उपाध्यक्ष ने कहा कि काम शुरू करने से पहले एक बार और स्थलीय निरीक्षण कर होने वाले कामों का आंकलन कर लिया जाए, यदि कोई काम छूटा है तो उसे प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया जाए। धन की कमी होने पर वीडीए लगाएगा लेकिन काम अधूरा नहीं होना चाहिए।

वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि मुंशी प्रेमचंद स्थल पर वीडीए ने पूर्व में काम कराया है। कई काम होने के साथ कई बजट के अभाव में नहीं हो सका। वहां पर्यटक भ्रमण करने के साथ मुंशी प्रेमचंद के बारे में जानना चाहते हैं। पर्यटकों के हिसाब से सुंदरीकरण नहीं हो पाया है। मुंशी प्रेमचंद की स्थली को संरक्षित

मुंशी प्रेमचंद स्थली के संरक्षण को लेकर बैठक करते वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग●

और संग्रहालय बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने योजना बनाई है। बजट स्वीकृत करने के साथ यूपीपीसीएल को काम सौंपा है।

स्थली को संरक्षित, अग्नि शमन सुरक्षा उपकरण, फायर अलार्म, सौर ऊर्जा, बिजली, इलेक्ट्रिफिकेशन, लैंडस्केप एंड हार्टिकल्चर, पाथवे एंड पेविंग आदि कार्य होने हैं। बैठक में वीडीए सचिव डा. वेद प्रकाश मिश्रा, यूपीपीसीएल के उप परियोजना निदेशक जयप्रकाश सिंह, उप पर्यटन निदेशक आरके रावत मौजूद थे।

हिन्दुस्तान –दि0 30.07.2024

वीडीए ने कमिश्नर को सौंपी ध्वस्तीकरण आदेश की फाइलें, तीन श्रेणियों में कार्रवाई, कैचमेंट और ग्रीन एरिया से होगी शुरुआत

हजार से अधिक अवैध भवन ध्वस्त करने की तैयारी

सख्त तेवर

05 से 15 वर्ष पुराने हैं ध्वस्तीकरण के आदेश

04 जुलाई के बाद कमिश्नरी कोर्ट में भी सुनवाई तेज

- वाराणसी विकास प्राधिकरण के अधिवक्ताओं पर भी बढ़ा दबाव
- 25 दिनों में 400 केस निपटा चुके हैं कमिश्नर कौशलराज शर्मा

लटकी तलवार

1. शहर में अनियोजित विकास और मकान खड़ा करने में लेटलतीफी पर नाराज हुए थे मंडलायुक्त
2. जो मामले कोर्ट में नहीं, उनपर कार्रवाई में भी अधिकारियों ने बरती लापरवाही

मुकदमों की प्रभावी पैरवी का निर्देश

वरुणा किनारे मैरिज लॉन पर अब गरजा बुलडोजर

वरुणा किनारे बने मैरिज लॉन पर सोमवार को वीडीए का बुलडोजर चला।

ग्रीन बेल्ट में बनवाया गया था बीएस मार्डन

दोनों होटल जल्द किए जाएंगे पूरी तरह ध्वस्त

प्रशासन सख्त

- कई बार सामान हटाने को दिया गया था समय
- ध्वस्तीकरण का आदेश पारित होने के कारण होगी कार्रवाई
- निष्प्रयोज्य कर छोड़ा, ताकि न हो सके व्यावसायिक इस्तेमाल
- दोनों होटलों से पूरी तरह नहीं हटाया गया है सामान

हिन्दुस्तान –दि0 30.07.2024

डाफी में तीन मंजिला मकान सील किया

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने सोमवार को डाफी और बृज इन्क्लेव कॉलोनी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही की। डाफी में बिना मानचित्र स्वीकृति के 465.15 वर्गमीटर में बना तीन मंजिला भवन सील कर दिया गया। वहीं, वीडीए ने उन भवन स्वामियों के लिए चेतावनी जारी की है जिन्हें पहले नोटिस मिली है अथवा ध्वस्तीकरण या सीलिंग की कार्यवाही हुई है। वीसी पुलकित गर्ग ने कहा कि यदि लोग भवनों का व्यावसायिक उपयोग करते मिले तो किसी भी कार्रवाई के लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान –दि0 30.07.2024

प्रेमचंद म्यूजियम प्रोजेक्ट पर चर्चा

वाराणसी। वीडीए में सोमवार को लमही के मुंशी प्रेमचंद म्यूजियम के संरक्षण के संबंध में बैठक हुई। उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल के सहायक प्रोजेक्ट मैनेजर जयप्रकाश सिंह और सहायक निदेशक पर्यटन आरके रावत से कार्यों की जानकारी ली। ज्ञात है कि 9 करोड़ 47 लाख 12 हजार से यह प्रोजेक्ट बनेगा। इसमें आग से बचाव, सोलर पैनल, लैंडस्केप एवं हॉर्टिकल्चर, पाथवे आदि कार्य होने हैं।

हिन्दुस्तान –दि0 30.07.2024

स्वेच्छा से जमीन छोड़ने पर भवन स्वामी सम्मानित

वाराणसी। रथयात्रा-गुरुबाग सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए स्थानीय निवासी गिरीश कुमार मिश्र ने स्वेच्छा से अपने हिस्से की जमीन छोड़ दी है। उन्हें सोमवार को उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने वीडीए मुख्यालय में सम्मानित किया।

तरूणमित्र –दि0 30.07.2024

मैरिज लॉन पर चला वीडीए का बुलडोजर

वाराणसी। वरिष्ठ संवाददाता। वरुणा किनारे ग्रीन बेल्ट के किनारे मैरिज लॉन पर कार्रवाई के लिए वीडीए ने कार्यवाही की। सिकरौल वार्ड के तहत पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पीछे बीएस गार्डन पर वीडीए का हथौड़ा चला। ग्रीन बेल्ट के किनारे 50 मीटर में यह लॉन बना हुआ है। लोन के मालिक ने वीडी ए टीम पहुंचने पर आपत्ति दर्ज कराई और निजी संपत्ति बताकर कार्रवाई का विरोध किया। संयुक्त सचिव परमानंद यादव के नेतृत्व में वीडीए की टीम कार्रवाई कर रही है।

तरूणमित्र –दि0 30.07.2024

वीडीएम की बड़ी कार्रवाई, 22 दिन में 170 अवैध निर्माण चिह्नित, 61 को किया सील

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में उठे अवैध निर्माण को लेकर प्रवर्तन कार्रवाई में कई मकानों को सील करने के साथ तोड़ा गया। कई के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करायां गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि चार जुलाई को वीडीए बोर्ड की बैठक में नामित सदस्यों ने शहर में अवैध निर्माण होने पर सवाल उठाया था। चार जुलाई से अब तक 170 अवैध निर्माण चिह्नित करने के साथ मौके पर बंद कराए गए। 61 अवैध निर्माण को सील कर पुलिस अभिरक्षा में सौंपा गया। बताया कि जोन एक के सिकरौल वार्ड में पुरूषोत्तम अग्रवाल का अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया।

फारूख व जाफर के दो व्यवसायिक होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेश को क्षतिग्रस्त किया गया। नगवां वार्ड के अवैध होटल बनाने पर राजेश जायसवाल के खिलाफ चितईपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसी वार्ड में गायत्री देवी सील तोड़कर अवैध निर्माण कर रहीं थी, उनके खिलाफ मंडुवाडीह थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। मारुति नगर में अवैध प्लाटिंग पर गिरधारी पटेल के खिलाफ लंका थाने में केस दर्ज कराया। उन्होंने बताया कि चार अवैध निर्माण ध्वस्त, चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 46 अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई हुई।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

तरूणमित्र –दि0 30.07.2024

भारी विरोध के बीच होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेश पर गरजा बुलडोजर

वाराणसी। भारी विरोध के बीच वाराणसी विकास प्राधिकरण ने शनिवार को होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेश पर पांच घंटे तोड़ने की कार्रवाई की। एक-एक कमरे का दरवाजा, खिड़की और बाथरूम तोड़ने के साथ अंदर के डिजाइन को हथौड़े से तोड़ दिया गया। 30 से अधिक मजदूर पांच घंटे तक हथौड़े और हैमर मशीन से तोड़ते रहे। अंत में बुलडोजर से बाहरी हिस्सा क्षतिग्रस्त करने के साथ वीडीए ने दोनों होटल को सील कर दिया। साथ ही पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया है। होटल तोड़ने के दौरान संचालक के परिजन लगातार विरोध करते रहे लेकिन पुलिस के आगे उनकी एक नहीं चली। एहतियातन एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियां मौजूद थीं। पिछले पांच सालों में विकास प्राधिकरण की यह बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान वीडीए के 120 कर्मी, 150 से अधिक पुलिस कर्मी, जिला प्रशासन के कई अफसर मौजूद रहे।

वीडीए टीम दोपहर तीन बजे होटल तोड़ने की कार्रवाई करने पहुंची तो परिजन गेट अंदर से बंद कर लिए। वीडीए सचिव डा. वेदप्रकाश मिश्रा ने परिजनों को समझाने के साथ गेट खोलने को कहा लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थे। आधे घंटे तक कहासुनी के बाद पुलिस जबरदस्ती अंदर प्रवेश कर गई। महिला पुलिस के सहयोग से महिलाओं को बाहर निकाल दिया। इस दौरान पुरुष के साथ महिलाएं विरोध करती रहीं और पुलिस उन्हें रोकती रही। दोनों होटल में मिलाकर 92 कमरे थे। छावनी स्थित बुद्ध विहार कालोनी में मोहम्मद बाकर अली खां ने भूखंड संख्या 20 पर 142.88 वर्ग मीटर में दो मार्च- 2012 आवासीय नक्शा तीन मंजिल का पास करा रखा था लेकिन पास के भूखंड संख्या 18 व 19 को जोड़कर छह मंजिल अवैध होटल बनारस कोठी बना रखा था। अवैध निर्माण पर भवन स्वामी को छह फरवरी-2015 नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया था। निर्माण जारी रहने पर वीडीए ने 13 फरवरी-2015 को सील कर दिया। भवन स्वामी ने सेटबैक कवर करते हुए वरुणा नदी के किनारे ग्रीन बेल्ट (डूब क्षेत्र में) निर्माण किया था, ऐसे में वीडीए ने दो फरवरी 2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया था। इसी प्रकार रिवर पैलेश में मानचित्र के विपरीत निर्माण था।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 30.07.2024

विकास प्राधिकरण,वाराणसी जोन-1 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध रूप से बने बी0 एस0 लॉन पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। वार्ड- सिकरौल के अंतर्गत वरूणा नदी के किनारे 50 मी0 के अन्दर वाराणसी विकास प्राधिकरण की महायोजना-2031 में नियत ग्रीन बेल्ट के अन्तर्गत अनाधिकृत रूप से लगभग 26 बिस्वा के क्षेत्रफल में लॉन का निर्माण करके श्री राजाराम यादव, हीरा यादव एवं मुन्ना लाल यादव द्वारा व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जिसे आज जोन-1 की प्रवर्तन टीम के नेतृत्व में मौके पर अनाधिकृत रूप से निर्मित भवन को ध्वस्त किया गया है।

मौके पर संयुक्त सचिव परमानन्द यादव, जोनल अधिकारी सिंह गौरव जयप्रकाश, प्रवर्तन टीम प्रभारी श्री देवेश गुप्ता सहित प्रवर्तन टीम उपस्थित रही। उपाध्यक्ष द्वारा कड़ी चेतावनी देते हुए बताया गया की ग्रीन बेल्ट में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधिश –दि0 30.07.2024

वाविप्रा ने अवैध निर्माण को किया सील

वाराणसी।उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध निर्माण सील की कार्यवाही सम्पादित की गयी।इसके तहत वार्ड-नगवॉ, मौजा-हाफि के अंतर्गत श्रीमती रीता कुमारी पुत्री श्री रामआधार प्रसाद द्वारा पुराना आराजी सं0-330/1, नया आ0सं0-188ख, पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये लगभग 465.15 वर्गमीटर के भूखण्ड पर जी+3 तलो का निर्माण पूर्ण कर फिनिशिंग आदि का कार्य गतिमान रखने पर सम्पूर्ण अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धारा-27, 28(1) एवं 28(क) के अन्तर्गत नोटिस की कार्यवाही की गयी थी। वर्तमान मे स्थल पर विपक्षी द्वारा लगभग 465.15 वर्गमीटर के भूखण्ड पर जी+3 तलो का निर्माण पूर्ण कर फिनिशिंग आदि का कार्य निरन्तर किया जा रहा था। जोनल अधिकारी के निर्देशन मे समस्त प्राधिकरण स्टाफ की उपस्थिति मे आज दिनांक 29.07.2024 को सील कर पुलिस अभिरक्षा मे सतत निगरानी हेतु सौंप दिया गया।उक्त के अतिरिक्त वार्ड-नगवॉ के अंतर्गत सद्दाम हुसैन पुत्र स्व0 अहमद हाजी द्वारा भवन सं0-एन-13/350-163-बी, आराजी सं0-306, बृज इन्क्लेव कालोनी, सरायसुरजन पर स्वीकृत मानचित्र सं0-ईआईडब्ल्यूएस/22-23/1116 के विपरीत लगभग 22.94 व 25.24 व. वर्गमीटर के क्षेत्रफल मे फ्रंट सेटबैक, साइड सेटबैक, रेयर सेटबैक को प्रभावित करते हुए तृतीय तल पर सटरिंग कर लैंटर डालकर निर्माण कार्य निरन्तर किया जा रहा था।इस दौरान जोनल अधिकारी प्रमोद तिवारी अवर अभियंता मौजूद रहे।उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदे तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति मे प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।